

पटना में दिनांक-15 जुलाई, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक योजना का अवधि विस्तार एवं बजट में उपबंधित राशि की व्यय की स्वीकृति। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

खान एवं भूतत्व विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

गृह विभाग

(कारा)

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक —सह— कक्षपाल का मासिक मानदेय रु० 19,800/—(उन्नीस हजार आठ सौ रुपये) से बढ़ाकर रु० 30,000/—(तीस हजार रुपये) करने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

गृह विभाग

(कारा)

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | बिहार राज्य की काराओं में मृतक बंदियों के विधिक आश्रित/निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी को मुआवजा भुगतान हेतु नीति बनाये जाने के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत हाजीपुर सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रु० 232,90,04,631/—(दो सौ बत्तीस करोड़ नब्बे लाख चार हजार छह सौ इकतीस रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 7. | केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 170,86,22,260/—(एक सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख बाईस हजार दो सौ साठ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। | 7. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 197,12,79,592/—(एक सौ सत्तानवे करोड़ बारह लाख उनासी हजार पाँच सौ बानवे रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 228,45,36,700/—(दो सौ अट्ठाइस करोड़ पैंतालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
9. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

10. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटरवाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संलग्न परिशिष्ट—“क” के अनुरूप संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

11. कैमूर जिलान्तर्गत माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारु संचालन एवं समुचित देख-रेख हेतु माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति, कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति।
11. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

12. सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किये जाने के लिए स्वीकृत वृहद् योजना के ससमय एवं सुचारु क्रियान्वयन तथा योजना पूर्ण होने के उपरांत निर्मित परिसम्पत्तियों के प्रभावी संचालन तथा प्रबंधन संबंधित कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के उद्देश्य से गठित श्री जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम मंदिर न्यास समिति, ग्राम-पुनौरा, जिला—सीतामढ़ी के विधिवत निबंधन और वैधता के संबंध में तैयार किये गये ट्रस्ट डीड (Trust Deed) के अनुमोदन एवं पुनौराधाम के विकास हेतु अर्जित की गयी 50.8925 एकड़ भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के विभागीय पत्रांक—636 दिनांक—12.03.1991 की कंडिका—ख को शिथिल करते हुए उक्त न्यास समिति को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

13. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत (कर, दर एवं शुल्क) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। 13. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

14. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों प्रति युनिट अनावर्ती मद में रु० 42.97 लाख (बयालीस लाख सतानवे हजार) प्रत्येक 5 वर्ष के लिए तथा आवर्ती मद में रु० 63.38 लाख (तिरसठ लाख अड़तीस हजार) वार्षिक के अनुसार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किये जाने तथा विभाग अन्तर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

15. बिहार स्टेट आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (AI CoE) कॉरपोरेशन के गठन तथा इससे संबंधित मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति के संबंध में। 15. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

16. बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, 2026 के स्वीकृति के संबंध में। 16. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

17. राज्य में धार्मिक पर्यटन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनावद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत "बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड (Bihar State Ropeways Company Limited)" का गठन के संबंध में। 17. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

18. बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली, 2026 के स्वीकृति के संबंध में। 18. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति, बिहार, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। 19. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

20. स्वीकृत्यादेश संख्या-40, दिनांक-19.01.2026 को निरस्त करते हुए भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नामकरण अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने तथा इसके निर्माण हेतु भागलपुर जिला में संशोधित 1425.1148 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹5,56,11,85,728/- (पाँच सौ छप्पन करोड़ ग्यारह लाख पचासी हजार सात सौ अठाईस रुपये) मात्र तथा मुंगेर जिला में 1720.1160 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹7,73,46,84,361/- (सात सौ तिहत्तर करोड़ छियालिस लाख चौरासी हजार तीन सौ इकसठ रुपये) मात्र अर्थात् कुल 3145.2308 एकड़ भूमि के विरुद्ध कुल अनुमानित मुआवजा राशि ₹13,29,58,70,089/- (तेरह सौ उनतीस करोड़ अठावन लाख सत्तर हजार नवासी रुपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

20. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

21. राजगीर तथा रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति के संबंध में।

21. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

22. बिहार उड्डयन संस्थान के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु ऐयर्स क्लब ऑफ इण्डिया से मल्टी इंजन Beechcraft Baron G58 विमान की सेवा प्राप्ति हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131ज्ञ (त) के परिशिष्ट-16 की कंडिका-3 के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं प्रतिमाह ₹6,50,000/- (छः लाख पचास हजार रुपये) की दर से कुल वार्षिक व्यय ₹78,00,000/- (अठहत्तर लाख रुपये) मात्र की दर पर अधिप्राप्ति के निमित्त प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

22. स्वीकृत।

गृह विभाग

23. मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत विधि-व्यवस्थ संधारण, अपराध नियंत्रण, शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थान आदि से आने-जाने के क्रम में लड़की/महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों (पुलिस दीदी) के लिए 1500 अदद स्कूटी एवं पुलिस कर्मियों के लिए 3200 अदद मोटरसाईकिल को आंशिक संशोधन करते हुए 1500 अदद स्कूटी के स्थान पर 1500 अदद स्कूटर का क्रय एवं बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के तहत 1500 अदद स्कूटर में से 1000 अदद पेट्रोल एवं 500 अदद इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्रय की स्वीकृति के संबंध में।

23. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

24. श्री रामाकान्त प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना (सेवानिवृत्ति की तिथि—30.06.2024) की संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक—01.07.2026 से 30.06.2027 (01 वर्ष) तक विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में।

24. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

30. राज्य सरकार के सात निश्चय-3 (2025-30) “उन्नत शिक्षा—उज्ज्वल भविष्य” के अन्तर्गत पूर्व में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के अतिरिक्त राज्य के अन्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के रूप में चयन एवं संचालन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

30. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

31. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद् प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर गठन/परिसीमन एवं संबंधित अधिसूचना प्रारूप (अनुलग्नक-1, 2, 3 एवं 4) पर स्वीकृति के संबंध में।

31. स्वीकृत।